ग्राम पंचायत स्पेल, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग-एक

1. प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत स्पेल, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती रविंदर कौर	01.04.2021 से 31.03.2023

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती प्रिया चौधरी	01.04.2021 से 31.03.2023

तकनीकी सहायक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री जसवीर राणा	01.04.2021 से 31.08.2022

नोट : श्री जसवीर राणा की सेवानिवृति उपरांत यह पद 01.09.2022 से 31.03.2023 तक रिक्त रहा।

ग्राम रोजगार सेवक :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1 .	श्री अरविन्द कुमार	01.04.2021 से 31.08.2021
2.	श्रीमती सोनिया	01.09.2021 से 31.03.2023

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

ग्राम पंचायत स्पेल के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र०सं०	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1.	4.1	रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में अन्तर पाया जाना	**0.11**
2.	4.2	ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में अंतर पाया जाना	**11.93**
3.	6	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	**15.96**
4.	7	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	**0.42**
5.	8.1	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने के फलस्वरूप संभावित राजस्व हानि	**1.12**
6.	8.2	औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	**6.43**

7.	9	विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु अपेक्षाकृत अधिक भुगतान करना	**0.83**
8.	10.2	विवाह पंजीकरण शुल्क वसूली हेतु शेष	**0.01**

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत स्पेल, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री दीपक सिंह पठानिया, कनिष्ठ लेखा परीक्षक तथा श्री बनीश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 28.03.2024 से 02.04.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्व: स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय (माह)	व्यय (माह)
2021-22	02/2022	11/2021
2022-23	08/2022	03/2023

<u>अस्वीकरण (Disclaimer):</u> - ***इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।***

3. अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4800/-** आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: 06/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा पंचायत सचिव से

अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 06/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र ही शुल्क की अदायगी कर दी जाएगी।

4. **वित्तीय स्थिति**:-

(क) पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 08/2024 दिनांक 28.03.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/21 से 31/03/23 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट - "क"** और **"ख"** में भी दिया गया है:-

1. स्व: स्त्रोत:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	574164.00	299874.00	874038.00	286417.44	587620.56
2022-23	587620.56	404303.96	991924.52	261865.56	730058.96

2. अनुदान:-

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कालम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कालम 4-5)
1	2	3	4	5	6
2021-22	2003508.41	2402079.15	4405587.56	1842331.35	2563256.21
2022-23	2563256.21	1889785.12	4453041.33	2857215.34	1595825.99

कुल योग (1+2) = 730058.96 + 1595825.99 = **2325884.95**

(ख) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2023 को रोकड़ बही/वित्तीय स्थिति से **₹23,25,884.95** तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि के अन्तशेष **₹23,14,930.60 (परिशिष्ट - "ग")** से सम्बन्धित समाधान विवरणी निम्नानुसार है: -

क्र०	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक अंत शेष 31.03.23 को
1	सभा निधि(SF) व पाँचवां वित्त(5TH STATE)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	20027080169	727287.50
2	Total Sanitisation Campaign (TSC)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50051961621	0.00
3	विधायक निधि / VKVNY	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055749124	120562.00
4	SDP	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50064443152	43300.00
5	मुख्यमंत्री मंत्री आवास योजना (MMAY)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50065708823	19500.00
6	राजीव आवास योजना (RAY)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055749135	26104.00
7	सांसद निधि (MPLAD)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056502764	1866.00
8	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50064707207	129.00
9	GRDY	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055749099	9080.00
10	SDRF	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50064210831	76977.80
11	14वां वित्तायोग (14FC)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50068184952	0.00
12	15वां वित्तायोग (15FC)	HDFC नगरोटा	50100410273199	1290124.30

		सूरियाँ		
13	हस्तगत शेष (स्व: स्त्रोत)			0.00
	बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योग :			2314930.60
	दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :-			
	रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति के अनुसार पैरा4(क) अन्तशेष			₹23,25,884.95
	पंचायत के बैंक खातों व हस्तगत शेष का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेष:-			₹23,14,930.60
	अंतर :-			**₹10,954.35**

नोट :- अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

4.1 रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों का मिलान न करने के कारण अन्तशेष में राशि ₹0.11 लाख का अन्तर पाया जाना:-

रोकड़ बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों को रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों के शेषों में दिनांक 31.03.2023 को उक्त पैरा 4 के अनुसार **₹10,954.35** की राशि का अन्तर बैंक में कम जमा के रूप में पाया गया इस कारणवश यह पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 08/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का बैंक शेषों से मिलान कर लिया जाएगा व अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे तथ्यपूर्ण स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करना सुनिश्चित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.2 ई ग्राम स्वराज (Online) पर लेखों को नियमानुसार संधारण/अद्यतन न करने के कारण हस्तलिखित लेखों के आकड़ों में ₹11.93 लाख का बहुत ज्यादा अंतर पाया जाना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में E-Panchayat Mission Project (MPP) प्रारम्भ की गई है, जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज रहित प्रणाली के अंतर्गत E-Panchayat में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण हस्तलिखित तथा ई-ग्राम स्वराज (Online)दोनों माध्यम से किया जा रहा था तथा जो लेखे ई-ग्राम स्वराज में बनाये जा रहें थे, बैंक खातों/हस्तलिखित रोकड़ बही से मिलान नहीं खाते थे, परिणामस्वरूप **₹11,92,522.16** का अंतर पाया गया जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

(क) चयनित माह के दौरान ई ग्राम स्वराज में दर्ज मासिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार मासिक प्राप्ति/व्यय में अंतर (Except MNREGA)

		प्राप्ति			भुगतान		
क्र०सं०	चयनित माह	ई-ग्राम स्वराज अनुसार	हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार	अंतर	ई-ग्राम स्वराज अनुसार	हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार	अंतर
1	नवंबर 2021	286671.00	46639.00	240032.00	305355.36	44716.20	260639.16
2	फरवरी 2022	135676.00	290909.00	155233.00	309015.20	12500.00	296515.20
3	अगस्त 2022	328759.56	327997.96	761.60	178323.96	40500.00	137823.96
4	मार्च 2023	434554.00	835209.00	400655.00	969873.40	215105.00	754768.40

(ख) ई ग्राम स्वराज में दर्ज वार्षिक प्राप्ति/व्यय व हस्तलिखित रोकड़ बही अनुसार वार्षिक प्राप्ति/व्यय में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

		प्राप्ति			भुगतान		
क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार	रोकड़ बही अनुसार	अंतर	ई-ग्राम स्वराज अनुसार	रोकड़ बही अनुसार	अंतर
1	2021-22	1636068.36	1230302.00	405766.36	1509094.64	657097.64	851997.00
2	2022-23	1249519.56	2290733.00	1041213.44	2173894.52	2448303.70	274409.18

(ग) ई ग्राम स्वराज में दर्शाये गए बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष तथा बैंक पास बुक अनुसार अंतशेष व हस्तगत नगद शेष में अंतर का विवरण (Except MNREGA)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	ई-ग्राम स्वराज अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	बैंक पास बुक अनुसार बैंक शेष व हस्तगत नगद शेष	अंतर
1	2023-24	3507052.76 + 400 (हस्तगत नगद) = 3507452.76	2314930.60 + 0 (हस्तगत नगद) = 2314930.60	**₹ 11,92,522.16**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 08/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार रोकड़ बहियों का संधारण ई ग्राम स्वराज पर कर लिया जाएगा।

अत: अन्तर के कारणों की तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.3 लेखा खाता/खाता बही तैयार न करना: -

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। अंकेक्षण अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई व किस-किस कार्य पर कितना-कितना व्यय हुआ व कितनी राशि शेष थी।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि लेखा खाता बही असंधारित है व भविष्य में नियमानुसार संधारण कर लिया जाएगा।

अत: इस अनियमितता के बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जायें व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4.4 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा प्रारूप -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित है ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार नहीं किया गया था अपितु कार्यवाही रजिस्टर में तैयार एवं पारित किया गया था। सचिव द्वारा निर्धारित प्रारूप -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन को निर्धारित प्रारूप -11 के अनुसार तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

5. निवेश

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है, ताकि इन पर अधिकतम ब्याज अर्जित किया जा सके।

ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना में अंकेक्षण अवधि 01/04/2021 से 31/03/2023 के दौरान किसी भी राशि को सावधि जमा में निवेशित नहीं किया गया था। जबकिउक्त पैरा-4 (क) पर दर्शाई गई वित्तीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष स्व:-स्त्रोत निधि में कृत व्यय की तुलना में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। इस चूक के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि सभा निधि में बकाया अतिरिक्त राशि को नियमानुसार प्रस्ताव पारित करके भविष्य में सावधि निवेश कर लिया जाएगा व आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत भविष्य में नियमानुसार सुधारात्मक कार्यवाही करना सुनिश्चित करके कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. अनुदान राशि ₹15.96 लाख का अवरोधन

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **9** के अनुसार पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक 08/2024 दिनांक 28.03.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना जोकि **परिशिष्ट - " क "** व **परिशिष्ट - " ख "** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2023 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से **₹ 15,95,825.99** की राशि उपयोग हेतु शेष थी, जिससे स्पष्ट है कि विभिन्न अनुदान शीर्षों के अंतर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यों का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में यह पंचायत पीछे है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 08/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अनुदान राशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

अतः शेष अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इसके व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को भी अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

7. पंचायत राजस्व संपत्ति कर / गृहकर राशि ₹0.42 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **34(2)** के अनुसार पंचायत को देय कोई भी रकम पर्याप्त कारणों के बिना परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संपत्ति कर / गृहकर मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण नहीं किया गया था। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 01/2024/स्पेल दिनांक 28.03.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 02/2024 दिनांक 21.03.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में ₹50/- प्रति वर्ष की दर से गृह

कर आरोपित किया था एवं राशि **₹41,540.00** के पंचायत राजस्व की वसूली दिनांक 31.03.23 को शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण प्रारूप - 10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पूर्ण पता लगाया जा सके। संपत्ति कर / गृहकर की नियमित वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

वसूली हेतु शेष संपत्ति कर / गृहकर राशि का विवरण :-

अवधि	अथशेष	कुल परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग (कॉलम 2+5)	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि (कॉलम 6-7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2021-22	₹ 9,540.00	315	₹ 50.00	₹ 15,750.00	₹ 25,290.00	₹ 0.00	₹ 25,290.00
2022-23	₹ 25,290.00	325	₹ 50.00	₹ 16,250.00	₹ 41,540.00	₹ 0.00	₹ 41,540.00

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि गृहकर की शीघ्र वसूली करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व किन कारणों से परादेय (outstanding) रहा, की तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये लम्बित करों एवं बकाया पंचायत राजस्व राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार संपत्ति कर / गृहकर से सम्बन्धित मांग व संग्रहण पंजिका का संधारण कर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. व्यय

8.1 आपूर्तिकर्ता से खनन सामग्री बिलों के साथ ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) की प्राप्ति सुनिश्चित न करने के कारण सरकार को रॉयल्टी के रूप में राशी ₹1.12 लाख के राजस्व की संभावित वित्तीय हानि

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम 81 व 81 ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू)

या सप्लीमेंट्री पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह में रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को **परिशिष्ट - " घ "** पर संलग्न विवरणानुसार **₹1,11,559.00** का संभावित अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि शीघ्र ही नियमानुसार वसूली कर ली जाएगी।

अतः राशि **₹ 1,11,559.00** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस संबंध में संबंधित विभाग से संपर्क/पत्राचार कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries, 102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाया जाए व इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिये जांचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जांच अपने स्तर पर करके नियमानुसार वस्तुस्थिति अनुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹6.43 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4),67(5),69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकताओं तथा निविदायें (Quotations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची, आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा राशि **₹ 6,42,610.00** के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही

किया गया था, जिसका पूर्ण विवरण **परिशिष्ट " ङ "** में दिया गया है। जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा बताया गया की समय के अभाव तथा कार्य की आकस्मिकता के कारण उस समय निविदायें नहीं ली जा सकी व अब नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस अनियमितता बारे तथ्यपूर्ण स्थिति स्पष्ट करते हुये इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने उपरान्त ही स्टॉक/स्टोर का क्रय,भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9. विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु राशि ₹0.83 लाख का अपेक्षाकृत अधिक भुगतान बारे

9.1 कोटेशन में दर्ज की गई दरों से अधिक दर पर बिल प्रस्तुत करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹ 0.63 लाख का अधिक भुगतान करने बारे :-

अंकेक्षण के दौरान चयनित माह के व्यय वाउचरों/बिलों के अवलोकन पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा न्यूनतम स्वीकृत दरों L1 (मै० चामुण्डा स्टोन क्रेशेर) से अधिक दर पर आपूर्तिकर्ता H1 (मै० विजय कुमार फैब्रिकेटर) से खनन सामग्री का क्रय करने के कारण राशि **₹62784.00** का अधिक भुगतान किया गया था, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट - " च "** में दिया गया है।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस संदर्भ में उचित कार्यवाही कर आपूर्तिकर्ता से वसूली कर ली जाएगी।

अतः इस प्रकार के अन्य भुगतानों की विस्तृत जांच विभागीय/पंचायत स्तर पर की जानी सुनिश्चित की जाए व उपरोक्त भुगतान को नियमानुसार पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन अनुसार अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करवाई जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.2 निर्माण कार्य रास्ता पवन के घर से मेन रोड तक में राशि ₹ 0.17 लाख का अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान बारे : -

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य रास्ता पवन के घर से मेन रोड तक का सबंधित प्राक्कलन व माप पुस्तिका के अंकेक्षण पर पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री सीमेंट की निष्पादित मात्रा वास्तविक निष्पादन योग्य मात्रा से अधिक दर्शाई गई थी, जिसके कारण निर्माण सामग्री सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹16,746.00** का निम्नानुसार अधिक भुगतान किया गया था :-

कार्य का नाम :	**निर्माण कार्य रास्ता पवन के घर से मेन रोड तक**						
कार्य परिसंपत्ति संख्या:	**1304010493/RC/8000093839**						
अनुदान :	**मनरेगा**						
कुल व्यय राशि :	**₹2,18,876.00**						
एम० बी० संख्या / पृष्ठ संख्या	**25561 / 45 से 46**						
बिल संख्या/दिनांक	**1918562/16.03.2020 (सीमेंट)**						
आपूर्तिकर्ता	HPCSCL **शिमला**						
वाउचर संख्या/दिनांक	**Nil / 31.03.2020**						
क्र०	**सामग्री का नाम**	**क्रय की गई सामग्री**	**मापन पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा**	**निर्धारित मानदण्डों के अनुसार निष्पादन योग्य सामग्री की मात्रा**	**अन्तर**	**दर**	**राशि**
1	**सीमेंट**	**234** बैग	**234** बैग	**183** बैग	**51** बैग	**₹328.36**	**₹16746.00**
						कुल	**₹16746.00**

PL CC (1:6:12) 22.75 M^3 = 22.75 x 2.2 **(**Cement Factor**)** = 50.05 Bag

PL CC (1:3:6) 30.30 M^3 = 30.30 x 4.4 **(**Cement Factor**)** = 133.32 Bag

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि निर्माण कार्य के निष्पादन के आंकलन में हुई गलती को सुधार लिया जाएगा जिस कारण सीमेंट की अधिक खपत दिखाई गई व शीघ्र उचित कार्यवाही कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9.3 निर्माण कार्य निर्माण सुरक्षा दीवार सुरक्षा दीवार कौशल्या देवी पत्नी श्री निधान सिंह राशि ₹ 0.03 लाख का अपेक्षाकृत अधिक/अनियमित भुगतान: -

अंकेक्षण के दौरान निर्माण कार्य निर्माण सुरक्षा दीवार सुरक्षा दीवार कौशल्या देवी पत्नी श्री निधान सिंह का संबंधित प्राक्कलन व माप पुस्तिका के अंकेक्षण पर पाया गया कि माप पुस्तिका में निर्माण सामग्री सीमेंट की निष्पादित मात्रा वास्तविक निष्पादन योग्य मात्रा से अधिक दर्शाया गया जिसके कारण निर्माण सामग्री सीमेंट के क्रय हेतु राशि **₹3,072 .00** का अधिक भुगतान किया गया जिसका है:-

कार्य का नाम :	**निर्माण कार्य रास्ता पवन के घर से मेन रोड तक**
कार्य परिसंपत्ति संख्या:	**1304010493/FP/8000091005**
अनुदान :	**मनरेगा**
कुल व्यय राशि :	**₹84,701.00**
एम० बी० संख्या / पृष्ठ संख्या	**25561 / 66 से 68**
बिल संख्या/दिनांक	**0027103/27.08.2021(सीमेंट)**
आपूर्तिकर्ता	**HPCSCL शिमला**
वाउचर संख्या/दिनांक	**Nil / 17.11.2021**

क्र०	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री	मापन पुस्तिका अनुसार निष्पादित सामग्री की मात्रा	निर्धारित मानदण्डों के दृष्टिगत निष्पादन योग्य सामग्री की मात्रा	अन्तर	दर	राशि
1.	सीमेंट	**70** बैग	**70** बैग	**61** बैग	**09** बैग	**341.36**	**₹3,072.00**
						कुल	**₹3,072.00**

PL CC (1:4:8) 17.94 M^3 = 17.941 x 3.4 Cement Factor = 61 Bag

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में

उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को बताया गया कि निर्माण कार्य के निष्पादन के आंकलन में हुई गलती को सुधार लिया जाएगा जिस कारण सीमेंट की अधिक खपत दिखाई गई व शीघ्र उचित कार्यवाही कर अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त निर्माण कार्य में पाई गई त्रुटि व किये गए अधिक भुगतान को आगामी उच्च तकनीकी अधिकारी की जांच एवं सत्यापना सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार देय उक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. विविध अनियमितताएं :-

10.1 हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 104(2)(1) व 105 के अनुसार निर्माण कार्यों की नमूना जाँच , माप पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता द्वारा किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए कार्यों के मूल्याकनों की माप पुस्तिकाएं तकनीकी सहायक द्वारा लिखी गई थीं परन्तु माप पुस्तिका में नियमानुसार किसी भी सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों का सत्यापन व परीक्षण जांच नहीं किया गया था (उदाहरणार्थ ऊपर वर्णित **पैरा 9**) तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

10.2 विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.01 लाख की वसूली बारे : -

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि०प्र० के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200/- प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए ₹400/- अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ऊपर वर्णित नियम के विपरीत ग्राम पंचायत द्वारा विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की जा रही थी। पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण ज्ञापन

संख्या 04/2024/स्पेल दिनांक 30.03.2024 की अनुपालना में पत्र क्रमांक 03/2024 दिनांक 30.03.2024 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार विवाह पंजीकरण रजिस्टर अपूर्ण है व विवाह पंजीकरण हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों को संबंधित मिसिल (फाइल) में रखा जाता है। इसके अलावा नियमों की जानकारी के अभाव में विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली नहीं की गई, जिस कारण इससे संबंधित कोई भी रसीद जारी नहीं की गई। प्रस्तुत सूचना अनुसार निम्नलिखित आवेदनकर्ताओं से विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹1000.00** की वसूली नहीं की गई थी:-

क्र० सं०	**आवेदनकर्ता का नाम**	**विवाह की तिथि**	**पंजीकरण की तिथि**	**वसूल योग्य राशि (₹)**	**वसूली हेतु शेष (₹)**
1.	श्री रमन सिंह	02.12.2022	20.12.2022	200.00	200.00
2.	श्री सुशील कुमार	14.12.2022	03.01.2023	200.00	200.00
3.	श्री अतुल शर्मा	27.01.2023	03.02.2023	200.00	200.00
4.	श्री संदीप कौंडल	30.01.2023	09.02.2023	200.00	200.00
5.	श्री गौरव गुलेरिया	08.02.2023	04.03.2023	200.00	200.00
	कुल जोड़				**1000.00**

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 07/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 08/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार कार्यवाही उपरांत शीघ्र ही विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी।

अत : अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत वस्तुस्थिति अनुसार उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित कर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये तथा भविष्य में विवाह पंजीकरण शुल्क संबंधी इस प्रकार की त्रुटि को न दोहराया जाये ।

11. नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्र०	रजिस्टर/अभिलेख	संदर्भित नियम	फॉर्म संख्या
1.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	15 (1)	----
2.	वर्गीकृत सार	29 (4)	8
3.	अस्थाई अग्रीमों का रजिस्टर	30	09
4.	माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	33 व 77(4)	10
5.	बजट प्राक्कलन	37	11
6.	अनुदान रजिस्टर	61 (1)	21
7.	निर्माण कार्य रजिस्टर	103	-------
8.	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिए जाने वाले मानदेय / वेतन का रजिस्टर	----------	-----------

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त सभी रजिस्टरों को भविष्य में संधारित कर लिया जाएगा व इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर सभी रजिस्टरों को नियमानुसार संधारित करना सुनिश्चित करके कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता।

अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 05/2024/स्पेल दिनांक 01.04.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत को उक्त अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु आग्रह किया गया, जिसकी अनुपालना में

उनके प्रतिउत्तर क्रमांक 07/2024 दिनांक 02.04.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में नियमित रूप से भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा।

प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण तर्कसंगत नहीं है क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षण को दिये गये आश्वासन के दृष्टिगत मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

13. लघु-आपत्ति विवरणिका :- लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है । यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई है।

14. निष्कर्ष :- हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय-समय पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही थी जिस कारण से लेखों के रख-रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है।

18 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

3463-3467 का०/प्रति

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)407/2024–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत स्पेल, विकास खण्ड नगरोटा सूरियाँ, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

18 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2620046

का०/प्रति

ANNEXURE -1

FINANCIAL POSITION OF GP SPAIL FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	574164.00	299874.00	874038.00	286417.44	587620.56
2022-23	587620.56	404303.96	991924.52	261865.56	730058.96

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2021-22	2003508.41	2402079.15	4405587.56	1842331.35	2563256.21
2022-23	2563256.21	1889785.12	4453041.33	2857215.34	1595825.99

प्रिया चौधरी

पंचायत सचिव Chalby

ANNEXURE -2

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP SPAIL FOR THE YEAR 2021-22 & 2022-23

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	TSC	2021-22	692.00	20.00	712.00	0.00	712.00
		2022-23	712.00	20.00	732.00	732.00	0.00
2	VKVNY	2021-22	130344.00	3955.00	134299.00	0.00	134299.00
		2022-23	134299.00	3831.00	138130.00	17568.00	120562.00
3	SDP	2021-22	48099.00	1459.00	49558.00	0.00	49558.00
		2022-23	49558.00	1414.00	50972.00	7672.00	43300.00
4	MMAY	2021-22	98881.00	76644.00	175525.00	150000.00	25525.00
		2022-23	25525.00	60760.00	86285.00	66785.00	19500.00
5	RAY	2021-22	46740.00	1411.00	48151.00	12500.00	35651.00
		2022-23	35651.00	1016.00	36667.00	10563.00	26104.00
6	MPLAD	2021-22	4134.00	124.00	4258.00	0.00	4258.00
		2022-23	4258.00	121.00	4379.00	2513.00	1866.00
7	MMGPY	2021-22	2474.00	76.00	2550.00	0.00	2550.00
		2022-23	2550.00	73.00	2623.00	2494.00	129.00
8	GRDY	2021-22	10910.00	332.00	11242.00	0.00	11242.00
		2022-23	11242.00	321.00	11563.00	2483.00	9080.00
9	SDRF	2021-22	132490.00	206844.00	339334.00	58031.20	281302.80
		2022-23	281302.80	6011.00	287313.80	210336.00	76977.80
10	14TH FC	2021-22	1280514.41	40053.00	1320567.41	150149.00	1170418.41
		2022-23	1170418.41	41725.00	1212143.41	1212143.22	0.19
11	15TH FC	2021-22	248230.00	599510.00	847740.00	0.00	847740.00
		2022-23	847740.00	645645.00	1493385.00	195078.00	1298307.00
12	MNREGA	2021-22	0.00	1471651.15	1471651.15	1471651.15	0.00
		2022-23	0.00	1128848.12	1128848.12	1128848.12	0.00

कार्यालय ग्राम पंचायत स्पेल, वि०ख० नगरोटा सूरियाँ, ज़िला काँगड़ा हि०प्र० 176026

बैंक प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत स्पेल के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेष:-

क्र०सं०	शीर्ष	बैंक	खाता सं०	बैंक गत शेष 01.04.2021	बैंक अंत शेष 31.03.2023
1	सभा निधि(SF) व पाँचवां वित्त(5TH STATE)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	20027080169	574164.00	727287.50
2	Total Sanitisation Campaign (TSC)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50051961621	712.00	0.00
3	विधायक निधि / VKVNY	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055749124	130344.00	120562.00
4	SDP	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50064443152	48099.00	43300.00
5	मुख्यमंत्री मंत्री आवास योजना (MMAY)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50065708823	6327.00	19500.00
6	राजीव आवास योजना (RAY)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055749135	46740.00	26104.00
7	सांसद निधि (MPLAD)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50056502764	4258.00	1866.00
8	मुख्यमंत्री ग्राम पथ योजना (MMGPY)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50064707207	2474.00	129.00
9	GRDY	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50055749099	10910.00	9080.00
10	SDRF	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50064210831	132490.00	76977.80
11	14वां वित्तायोग (14FC)	KCCB नगरोटा सूरियाँ	50068184952	1280514.41	0.00
12	15वां वित्तायोग (15FC)	HDFC नगरोटा सूरियाँ	50100410273199	248801.00	1290124.30
			जोड़ (क)	2485833.41	2314930.60
			हस्तगत शेष (ख)	0.00	0.00
			कुल जोड़ (क + ख)	2485833.41	2314930.60

प्रिया चौधरी
Chalby

परिशिष्ट "21"

ग्राम पंचायत स्पेल खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती न करने से राजस्व हानि

पैरा संख्या " " के सन्दर्भ में

Sr No	Name of Supplier	Vr. No. / Date	Bill No. / Date	Name of Item	Qty. (cuft)	Qty. (cum)	Determining Factor	Qty MT	Royality (Per MT)	Due Royality
			14 th FC							
1	M/s Chamunda Stone	4/01.11.2021	258/02.08.21	SAND	70	1.980	1.62	3.20	80	256.00
				BAJRI	134	3.790	1.52	5.76	80	460.80
				STONE	40	1.133	2.24	2.54	80	203.20
			MNREGA							
2	M/S Vijay Kumar	Nil/17.11.2021	396/27.09.2021	SAND	980	27.754	1.62	44.97	80	3597.60
				BAJRI	520	14.727	1.52	22.38	80	1790.40
3	M/S Vijay Kumar Fabricators	Nil/17.11.2022	628/06.08.2021	SAND		25.000	1.62	40.50	80	3240.00
				BAJRI		47.000	1.52	71.44	80	5715.20
				STONE		50.000	2.24	112.00	80	8960.00
4	M/s Chamunda Stone	Nil/17.11.2022	256/01.07.2021	SAND	918	25.998	1.62	42.12	80	3369.60
				BAJRI	1659	46.984	1.52	71.42	80	5713.60
				STONE	1306	36.987	2.24	82.85	80	6628.00
5	M/S Vijay Kumar Fabricators	Nil/17.11.2022	627/08.08.2021	SAND		10.000	1.62	16.20	80	1296.00
				BAJRI		20.000	1.52	30.40	80	2432.00
				STONE		14.000	2.24	31.36	80	2508.80
6	M/S Vijay Kumar Fabricators	Nil/17.11.2022	398/08.07.2021	SAND	940	26.621	1.62	43.12	80	3449.60
				BAJRI	1780	50.411	1.52	76.62	80	6129.60
				STONE	1071.4	30.343	2.24	67.97	80	5437.60
7	M/s Chamunda Stone	Nil/17.11.2022	257/01.07.2021	SAND		30.460	1.62	49.34	80	3947.20
				BAJRI		58.580	1.52	89.04	80	7123.20
				STONE		58.715	2.24	131.52	80	10521.60
8	M/S Vijay Kumar	Nil/17.11.2022	634/06.08.2021	SAND		5.000	1.62	8.10	80	648.00
				BAJRI		10.000	1.52	15.20	80	1216.00
9	M/S Vijay Kumar	Nil/17.11.2022	629/06.08.2021	SAND		7.000	1.62	11.34	80	907.20
				BAJRI		13.000	1.52	19.76	80	1580.80
10	M/S Vijay Kumar	Nil/17.11.2022	633/06.08.2021	SAND		6.000	1.62	9.72	80	777.60
				BAJRI		11.000	1.52	16.72	80	1337.60
									TOTAL	89247.20
									Panelty 25%	22311.80
									NET TOTAL	111559.00

Ranjit Singh
D.A Spain

Sonia Choudhy
Sonia Choudhy
Gr. R.S

प्रिया चौधरी
पंचायत सचिव

परिशिष्ट "   "

ग्राम पंचायत स्पेल द्वारा औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना क्रय किये गये सामग्री/स्टॉक की सूची

पैरा संख्या " 5 " के सन्दर्भ में

अनुदान	वो. स./ दिनांक	समाग्री का विवरण	विल. स. / दिनांक	मात्रा	रेट	आपूर्तिकर्ता	राशि	टिप्पणी
1. मनरेगा	Nil / 17-11-2021	बजरी रेत शटरिंग	396 / 27-09-21	980 Sq Ft 520 Sq Ft 1180 Sq Ft	₹ 29/-Sq. Ft ₹ 32/-Sq. Ft ₹ 14/- Sq. Ft	मैं० विजय कुमार फैब्रिकेटर	₹ 61,580.00	दो निवीदायें प्रस्तुत की गई
2. मनरेगा	Nil / 17-11-2021	बजरी रेत स्टोन	628 / 06-08-21	47 M^3 25 M^3 50 M^3	₹ 1024/-M^3 ₹ 1129/- M^3 ₹ 988/- M^3	मैं० विजय कुमार फैब्रिकेटर	₹ 1,29,333.00	दो निवीदायें प्रस्तुत की गई
3. मनरेगा	Nil / 17-11-2021	बजरी रेत पत्थर	256 / 01-07-21	1659 Sq Ft 918 Sq Ft 1306 Nos	₹ 23/-Sq. Ft ₹ 32/-Sq. Ft ₹ 25/- Per stone	मैं० चामुण्डा स्टोन क्रेशेर	₹ 98,347.00	दो निवीदायें प्रस्तुत की गई
4. मनरेगा	Nil / 17-11-2021	बजरी रेत स्टोन	627 / 06-08-21	20 M^3 10 M^3 14 M^3	₹ 1024/-M^3 ₹ 1129/- M^3 ₹ 988/- M^3	मैं० विजय कुमार फैब्रिकेटर	₹ 45,602.00	दो निवीदायें प्रस्तुत की गई
5. मनरेगा	Nil / 17-11-2021	रेत बजरी 20 मी० मी० बजरी 60/90 मी० मी०	398 / 08-07-21	940 Sq Ft 1780 Sq Ft 1071.42 Sq Ft	₹ 32/-Sq. Ft ₹ 29/-Sq. Ft ₹ 28/- Sq. Ft	मैं० विजय कुमार फैब्रिकेटर	₹ 1,11,700.00	दो निवीदायें प्रस्तुत की गई
6. मनरेगा	Nil / 17-11-2021	बजरी रेत पत्थर	257 / 20-06-21	58.58 M^3 30.46 M^3 58.715 M^3	₹ 805/-M^3 ₹ 1050/- M^3 ₹ 875/- M^3	मैं० चामुण्डा स्टोन क्रेशेर	₹ 1,30,520.00	दो निवीदायें प्रस्तुत की गई
7. मनरेगा	Nil / 17-11-2021	बजरी रेत शटरिंग	634 / 06-08-21	10 M^3 05 M^3 390 Sq Ft	₹ 1024/-M^3 ₹ 1129/- M^3 ₹ 15 /- Sq. Ft	मैं० विजय कुमार फैब्रिकेटर	₹ 22,675.00	दो निवीदायें प्रस्तुत की गई
8. मनरेगा	Nil / 17-11-2021	बजरी रेत शटरिंग	629 / 06-08-21	13 M^3 05 M^3 390 Sq Ft	₹ 500/-M^3 ₹ 500/- M^3 ₹ 15 /- Sq. Ft	मैं० विजय कुमार फैब्रिकेटर	₹ 17,690.00	दो निवीदायें प्रस्तुत की गई
9. मनरेगा	Nil / 17-11-2021	बजरी रेत शटरिंग	633 / 06-08-21	11 M^3 06 M^3 415 Sq Ft	₹ 1024/-M^3 ₹ 1129/- M^3 ₹ 15/- Sq. Ft	मैं० विजय कुमार फैब्रिकेटर	₹ 25,163.00	दो निवीदायें प्रस्तुत की गई
						कुल	₹ 6,42,610.00	

(प्रधानाचार्य)

25

परिशिष्ट "—ट"

ग्राम पंचायत स्पेल द्वारा न्यूनतम स्वीकृत दरें (L1) से अधिक दर पर आपूर्तिकर्ता (H1) को ₹ 0.63 लाख के अधिक भुगतान का विवरण : -

क्र० सं०	निवेविता (L1) आपूर्तिकर्ता का नाम (1)	निवेविता (H1) आपूर्तिकर्ता का नाम (2)	बिल संख्या (H1) /दिनांक (3)	वाउचर संख्या / दिनांक (4)	मद का नाम (5)	खरीदी गई मात्रा (6)	प्रस्तुत बिल में दर (₹) (7)	L 1 निवेविता द्वारा उद्धृत दर (₹) (8)	अतिरिक्त भुगतान की गई दर (₹) (9)	अधिक भुगतान की गई राशि (₹) (10) = (6X9)	कुल अधिक भुगतान की गई राशी (₹)
1	मै० चामुण्डा स्टोन क्रेशर	मै० विजय कुमार फैब्रिकेटर	396/ 27.09. 21	निल/ 17.11.21	बजरी	980 Sq Ft	29/-Sq. ft	23/-Sq. ft	6/-Sq. ft	980 X 6 = 5880 /-	5880+1040+2714 = 9634 /-
					रेत	520 Sq Ft	32/-Sq. ft	30/-Sq. ft	02/-Sq. ft	520 X 2 = 1040 /-	
					शटरिंग	1180 Sq Ft	14/- Sq. ft	11.70/- Sq. ft	2.30 Sq. ft	1180 X 2.30 =2714 /-	
2	मै० चामुण्डा स्टोन क्रेशर	मै० विजय कुमार फैब्रिकेटर	628 / 06.08.21	निल/ 17.11.21	बजरी	47 M³	1024/-M³	812/- M³	212/-M³	47 X 212 = 9964 /-	9964+1775+5250 = 16989 /-
					रेत	25 M³	1129/- M³	1058 /- M³	71 /- M³	25 x 71 = 1775 /-	
					स्टोन	50 M³	988/- M³	883 /- M³	105 /- M³	50 x 105 = 5250 /-	
3	मै० चामुण्डा स्टोन क्रेशर	मै० विजय कुमार फैब्रिकेटर	627 / 06.08.21	निल/ 17.11.21	बजरी	20 M³	1024/-M³	812/- M³	212/-M³	20 X 212 = 4240 /-	4240 +710 + 1470 = 6420 /-
					रेत	10 M³	1129/- M³	1058 /- M³	71 /- M³	10 x 71 = 710 /-	
					स्टोन	14 M³	988/- M³	883 /- M³	105 /- M³	14 x 105 = 1470 /-	
4	मै० चामुण्डा स्टोन क्रेशर	मै० विजय कुमार फैब्रिकेटर	398 / 08.07.21	निल/ 17.11.21	रेत	940 Sq Ft	32/-Sq. ft	30/-Sq. ft	02/-Sq. ft	940 X 2 = 1840 /-	1840 +10680 + 9371 = 21891/-
					बजरी 20mm	1780 Sq Ft	29/-Sq. ft	23/-Sq. ft	6/-Sq. ft	1780 X 6 = 10680 /-	
					बजरी 60/90mm	1071.42 Sq Ft	28/- Sq. Ft	20/- Sq. ft	8/- Sq. ft	1171.42 X 8 =9371 /-	
5	मै० चामुण्डा स्टोन क्रेशर	मै० विजय कुमार फैब्रिकेटर	634 / 06.08.21	निल/ 17.11.21	बजरी	10 M³	1024/-M³	812/- M³	212/-M³	10 X 212 = 2120 /-	2120+355+1287 = 3762 /-
					रेत	05 M³	1129/- M³	1058 /- M³	71 /- M³	05 x 71 = 355 /-	
					शटरिंग	390 Sq Ft	15/- Sq. ft	11.70 Sq. ft	3.30/-Sq.ft	390 X 3.30 =1287 /-	
6	मै० चामुण्डा स्टोन क्रेशर	मै० विजय कुमार फैब्रिकेटर	633 / 06.08.21	निल/ 17.11.21	बजरी	11 M³	1024/-M³	812/- M³	212/-M³	11 X 212 = 2332 /-	2332+426+1370 = 4128 /-
					रेत	06 M³	1129/- M³	1058 /- M³	71 /- M³	06 x 71 = 426 /-	
					शटरिंग	415 Sq Ft	15/- Sq. ft	11.70 Sq. ft	3.30 Sq. ft	415 X 3.30 =1370 /-	
										कुल अधिक अदा की गई राशी	62784/ -

प्रिया चौधरी